कार्यकारी सारांश

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुविमितीय सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे कुछ आकस्मिकताओं में एकमात्र अंशदान के प्रति दोनो नगद क्षतिपूर्ति तथा चिकित्सा लाभ प्रदान करने का आदेश दिया गया है। योजना को राज्य सरकारो के साथ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (अधिनियम) के तहत स्थापित कर्माचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाता है। चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से अधिनियम को चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग महाविद्यालयों तथा इसके परा-चिकित्सा स्टाफ तथा अन्य कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण संस्थानो की स्थापना (धारा 59 ख को जोड़ा गया था) का प्रावधान करने हेतु मई 2010 में संशोधित किया गया था। ई.एस.आई.सी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है।

ई.एस.आई.सी. के चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं की विशेष लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

- निगम ने 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं में से 17 को संस्वीकृत किया था तथा अधिनियम के संशोधन के पूर्व 16 चिकित्सा परियोजनाओं का निर्माण प्रारम्भ किया तथा ₹1021.72 करोड़ का व्यय किया गया था।

(पैरा 2.2)

- सलाहकार द्वारा किए गए स्थलों/स्थानों के चयन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन विस्तृत नहीं था तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण हेतु ई.एस.आई.सी. द्वारा स्थलों का चयन भी विवेकाधीन तथा प्रतिमानों पर आधारित नही था।

(पैरा 2.3)

- विभिन्न वास्तुशिल्पीय तथा इंजीनियरिंग सलाहकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों का सौंपना मनमाने तरीके से किया गया था। इसके अतिरिक्त सी.वी.सी. निर्देशों के अनुसार सलाहकारों के देय शुल्क मूल संविदा मूल्य के अनुकूल होना चाहिए। 21 इकरारनामों में से छः में इस शर्त को शामिल न

करने के कारण ई.एस.आई.सी. ₹24.68 करोड़ का अतिरिक्त सलाहकार शुल्क अदा करने का उत्तरदायी था।

(पैरा 2.4)

- डाक्टरों तथा अन्य परा चिकित्सा स्टाफ को भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने हेतु खोले जाने वाले अपेक्षित महाविद्यालयों की संख्या का निर्धारण करने हेतु किया गया यथोचित परिश्रम, यदि कोई, उपलब्ध नहीं था।

(पैरा 2.6)

- निर्माण अभिकरणों को नामांकन आधार पर निर्माण कार्य सौपने के कारण ई.एस.आई.सी. प्रतियोगी दरों का लाभ नहीं उठा सकी।

(पैरा 2.8)

- प्रारम्भ की गई सभी चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं, दो को छोड़कर, समय से पीछे थीं। सभी परियोजनाओं की कुल लागत को ₹8611.94 करोड़ से ₹11997.15 करोड़ तक संशोधित किया गया था जिसका परिणाम ₹3385.21 करोड़ की अधिक लागत में हुआ।

(पैरा 2.9)

- स्नातकोत्तर संस्थान से उत्तीर्ण केवल 14 *प्रतिशत* छात्रों ने ई.एस.आई.सी. अस्पताल में कार्यग्रहण किया जिसने दर्शाया कि रिक्त पदो को भरने हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों को खोले जाने की नीति विफल थी।

(पैरा 2.11)

- निगम ने 4 दिसंबर 2014 को हुई अपनी 163वीं बैठक में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र से बाहर आने का निर्णय लिया क्योंकि यह इसका कोई मूलभूत कार्य नहीं था। इस प्रयास से बाहर आने का निर्णय केवल देयता को सीमित करने हेतु एक प्रयोग था। इस प्रकार ई.एस.आई.सी. द्वारा चिकित्सा तथा परा चिकित्सा स्टाफ की कमी को पूरा करने हेतु अपनाई गई नीति पूर्णरूप से अप्रभावी थी।

(पैरा 2.12)